Name of the Manufacturer	Ordered (KL)	Supplied (KL)	Value in Rs. Crores	Ordered (KL)	Supplied (KL)	Value in Rs. Crores
RAJASTHAN COMMUNICATIONS LTD.	—	—	—	—	—	—
ANDREW YULE & CO. LTD.	6.1	6.1	1.73	—	—	—
SIEMENS TELEMATIK LTD (Earlier WEBEL)	6.1	6.1	1.73	—	—	—

Production/Export by Optical Fibre Cable Production Units

1174. SHRI MD. SALIM:
SHRI NILOTPAL BASU:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased:

(a) the names, locations, installed capacity, total investment upto 31st March, 1996 and number of employees of the optical fibre cable production units in the country;

(b) the quantum of supplies made by each of these units during 1994-95 and 1995-96 to DOT and MTNL and others, in terms of value and sheath and fibre kilometers;

(c) the foreign exchange outgo, indigenous value addition exclusive of Customs and other Duties, handling and transportation of these factories in the corresponding years; and

(d) the quantum of exports by each of these units during 1994-95 and 1995-96 in terms of value, sheath, conductors, kilometers?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BENI PRASAD VARMA): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

आई॰एस॰डी॰/एस॰टी॰डी॰/पी॰सी॰ओ॰ बूथों की स्वीकृति हेतु मानदण्ड

1175. **श्री रामजीलाल:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आई॰एस॰डी॰/एस॰टी॰डी॰/पी॰सी॰ओ॰ बूथों की स्वीकृति प्रदान करने हेतु मानदण्ड क्या है;

(ख) आई॰एस॰डी॰/एस॰टी॰डी॰/पी॰सी॰ओ॰ बूथों हेतु कितने आवेदन स्वीकृति के लिए लम्बित हैं;

(ग) ये आवेदन कब से लम्बित हैं और हरियाणा में ऐसे लम्बित पड़े आवेदनों की संख्या कितनी है; और

(घ) इन्हें कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) एस॰टी॰डी॰—पी॰सी॰ओ॰ का आबंटन प्रत्येक गौण स्विचन क्षेत्र के लिए गठित एक पीसीओ आबंटन समिति द्वारा किया जाता है। इस समिति में दो सरकारी सदस्य तथा गैर-सरकारी सदस्य होते हैं जिनमें एक-एक सदस्य गौण-स्विचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे वर्तमान संसद सदस्य द्वारा नामित किये जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शैक्षिक योग्यता 8वीं कक्षा पास और शहरी क्षेत्रों के लिए शैक्षिक योग्यता मैट्रिक/हाई स्कूल पास निर्धारित है।

निम्नलिखित श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी गयी है:—

1. विकलांग व्यक्ति जिनमें नेत्रहीन भी शामिल है।